फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला–श्रीगंगानगर

रोशनी देवी बनाम श्योपारी देवी आदि

किस्म मुकदमा:–88 आर0टी0ए0 प्रकरण संख्या:–206/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.01.2024	वाद पत्र के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है, कि वादी व प्रतिवादीगण संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है तथा परस्पर सहदायिकी एवं सहअंशदायी है। वादी के पिता स्व. हेतराम पुत्र मिश्रुराम के नाम से संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील सूरतगढ़ के चक 7 एसजीआर–बी के खाता सं. 79 के प.नं. 18/308 के किला नं. 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 24, 25/1, 25/2 कुल 2.783 हैक. मे से 1/2 हिस्सा मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी के पिता स्व. हेतराम के नाम वर्णित कृषि भूमि पूर्व मे वादी के दादा श्री मिश्रुराम के नाम से दर्ज राजस्व अभिलेख थी जिनके देहान्त के पश्चात उनके नाम वर्णित कृषि भूमि उनके वारिसान को हुई। अब वादीया के पिता श्री हेतराम व भाई हंसराज पुत्र हेतराम का देहान्त हो चुका है जिनके जायज व कानूनी वारिसान वादी व प्रतिवादीगण है। अन्य कोई विधिक वारिसान नही है। वादग्रस्त कृषि भूमि का कुछ समय पूर्व घरा घरू बंटवारा हुआ है और घरू बंटवारा के समय वाद पत्र की दफा 3 मे वादी के पिता स्व. हेतराम के नाम वर्णित समस्त कृषि भूमि वादी को प्राप्त हुई और वादी को कृषि भूमि का कब्जा सुपुर्द कर दिया। वर्तमान मे वादी अपने पिता हेतराम के नाम वर्णित 1/2 हिस्सा की कृषि भूमि पर काबिज काश्त है और फसल काश्त की हुई है लेकिन वर्तमान राजस्व राजस्व अभिलेख मे वादग्रस्त कृषि भूमि वादी के पिता स्व. हेतराम के नाम से दर्ज होने से वादी की हकूक खातेदारी पर विपरित असर पड़ता है। इसलिए वादी वाद पत्र की दफा 3 मे स्व. हेतराम के नाम वर्णित 1/2 हिस्सा की घोषणा करवाने की अधिकारिनी है जिसमे से हेतराम का नाम हक व हिस्सा कलमजन किया जावे। वादी ने प्रतिवादीगण से कई दफा कहा कि वे वादी का मुताबिक घरू बंटवारा एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि राजस्व अभिलेख मे नाम करवा देवे तो प्रतिवादीगण कुछ दिन तो टालमटोल करते रहे, परन्तु आज से 5 दिवस पूर्व प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया है, बस यही वाद हेतूक है। अतः वाद वादी स्वीकार कर चक 7 एसजीआर–बी के खाता सं. 79 के प.नं. 18/308 के किला नं. 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 24, 25/1, 25/2 कुल 2.783 हैक. मे रो हेतराम पुत्र मिश्रुराम के नाम वर्णित 1/2 हिस्सा का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर हेतराम का नाम हक व हिस्सा कलमजन किया जावे। वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण न्यायालय मे उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा पढ़ने समझने के बाद हस्ताक्षर किये। वादी की पहचान श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता तथा प्रतिवादीगण की पहचान श्री अमरजीत सिंह अधिवक्ता द्वारा किये जाने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के कथन किया गया कि उपरोक्त अनवान सदर के प्रकरण मे दोनो पक्ष एक ही परिवार के सदस्यगण है। दोनो पक्षों द्वारा कुछ दिन पूर्व किये गये पारितवारीक समझौते अनुसार व परिवार के प्रमुख रिश्तेदारों के प्रोत्साहन से परस्पर मुकदमेबाजी नहीं होने के लिए स्वेच्छा पूर्ण लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। चक 7 एसजीआर–बी के खाता सं. 79 के प.नं. 18/308 के किला नं. 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 24, 25/1, 25/2 कुल 2.783 हैक. मे से हेतराम पुत्र मिश्रुराम के नाम वर्णित 1/2 हिस्सा वादी को प्राप्त हुआ है जिसमे प्रतिवादीगण पूर्णतः सहमत एवं रजामन्द है। वादग्रस्त कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण की पैतृक कृषि भूमि है। प्रथम पक्ष / वादी का वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तो पक्षकारान को कोई उजर एतराज नही होगा। राजीनामा पक्षकारान ने अपनी सहमति से किया है जिसे पक्षकारान ने पढ़, सुन समझ तथा पूर्ण रूप से समझ मे आ जाने के बाद सही होना माना। लिहाजा राजीनामा पेश कर निवेदन है कि वाद वादी/ प्रथम पक्ष का वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जावे। प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा होनें पर किसी प्रकार का प्रतिवादी नही होने के कारण प्रकरण मे तनकीयात कायम नही होने से उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई, दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों ने वाद एवम् राजीनामा मे दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया। इस सम्बंध मे आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 40–53, 38–39–40, आर.आर.डी., 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 ;एससी पेज 807 व 178	

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.01.2024		

आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975—478, ए.आई.आर. 1966 ;एससीद्ध 432 आर. आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यु) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी मे समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप—6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमति हो जाये तो ऐसी सहमति के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकारी विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पत्ति मे जन्म से ही अधिकार है। इसलिए पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पत्ति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारीक समझौता धोखा धडी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारीक समझौते पक्षकारान द्वारा न्यायालय मे उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

हिन्दु कानून की धारा 221—22 के अनुसार संयुक्त परिवार की सम्पत्ति पर भी पुत्र पुत्रीयों का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दु परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं अर्जित सम्पत्ति को संयुक्त परिवार की सम्पत्ति मे शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पत्ति की श्रेणी मे आती है। जिसमें सभी हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवम् बंटवारा करवा सकता है। अपने कथनों की पुष्टि हेतु आर.आर.डी. 1981 के पेज 512 एवम् आर.आर.डी. 1978 पेज 375 (एच.सी) डी.एन.जे. (एससी) पेज 2023 पेज 29, आर.आर.डी. 1998 पेज 644, आर.आर.डी. 1995 पेज 529 पेश किये।

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का सम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वादग्रस्त कृषि भूमि चक 7 एसजीआर—बी के खाता सं. 79 के प.नं. 18/308 के किला नं. 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7, 14,15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 24, 25/1, 25/2 कुल 2.783 हैक. मे से 1/2 हिस्सा वादी के पिता हेतराम पुत्र मिश्रुराम के नाम से दर्ज राजस्व अभिलेख खातेदार भूमि है। वादी के पिता हेतराम का देहान्त हो चुका जिनके जायज व कानूनी वारिसान वादी व प्रतिवादीगण है। अतः वादग्रस्त कृषि भूमि जाददी जायदाद होनें के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

—:: आदेश ::—

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित भूमि चक 7 एसजीआर—बी के खाता सं. 79 के प.नं. 18/308 के किला नं. 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 24, 25/1, 25/2 कुल 2.783 हैक. मे से हेतराम पुत्र मिश्रुराम के नाम वर्णित 1/2 हिस्सा का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है जिसमे से हेतराम का नाम हक व हिस्सा कलमजन किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी /बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार) पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना—अपना वहन करेंगे। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 03.01.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(ओ021 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

–::परचा डिक्री::–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास :–सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.)

–:: अनवान ::–

1.रोशनी देवी पुत्री हेतराम पत्नी कलवन्तराम जाति बिश्नोई साकिन लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज0)

–वादीया

बनाम

1.श्योपारी देवी पत्नि हेतराम जाति बिश्नोई साकिन 4 एम0के0 उड़सर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
2.रामसिंह पुत्र हेतराम जाति बिश्नोई साकिन 4 एम0के0 उड़सर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
3.बजरंगलाल पुत्र हेतराम जाति बिश्नोई साकिन 4 एम0के0 उड़सर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
4.सरिता देवी पत्नी हंसराज पुत्र हेतराम जाति बिश्नोई साकिन 4 एम0के0 उड़सर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
5.अश्वनी पुत्र हंसराज पुत्र हेतराम जाति बिश्नोई साकिन 4 एम0के0 उड़सर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
6.अनिशा पुत्री हंसराज पुत्र हेतराम जाति बिश्नोई साकिन 4 एम0के0 उड़सर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

–प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

वाद पत्र धारा–88 आर.टी. एक्ट मुकदमा नं. 206 वर्ष 2023 (GCMS 2023/156) यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादीया श्री हीरालाल बिरथलिया व वकील प्रतिवादीगण श्री अमरजीत सिंह संधू के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि:–

वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित भूमि चक 7 एसजीआर–बी के खाता सं. 79 के प.नं. 18/308 के किला नं. 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 24, 25/1, 25/2 कुल 2.783 हैक. मे से हेतराम पुत्र मिश्रुराम के नाम वर्णित 1/2 हिस्सा का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है जिसमे से हेतराम का नाम हक व हिस्सा कलमजन किया जावे। तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी /बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार) पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

नोज......ग......मुबलिग......ग......बाबत......ग......खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बशरह......ग...... फस्दों की पालना......ग...... आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 03.01.2024 को जारी की गई।

(सन्दीप कुमार)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)